

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 79/2021

दायर दिनांक: 22.04.2021

उनवान

1. मूर्ति बाई आयु 46 वर्ष पत्नि रामबाबू जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादिया

बनाम

1. दीपक आयु 25 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति मीना
2. प्रियंका आयु 22 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति मीना
3. सन्तोष बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व० रामदयाल जाति मीना
4. हेमराज आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा जाति मीना निवासीगण महेशपुरा पोस्ट मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
6. शाखा प्रबंधक महोदय सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:-विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी:-विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर प्रति० क्रम 1 ता 4

विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति० क्रम 6

आदेश

दिनांक: 30/11/2022

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह दावा अन्तर्गत धारा 53 आर० टी० एक्ट० का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां के ख०नं० 115 रकबा 0.03 है०, ख०नं० 251 का रकबा 0.24 है०, ख०नं० 252 का रकबा 0.23 है०, ख०नं० 274 की रकबा 0.05 है०, ख०नं० 297/469 का रकबा 0.12 है० एवं ख०नं० 91 का रकबा 0.38 है० कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है० का इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार

अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/2502 दिनांक 11.10.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 18.07.2022 अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 115 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 251 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 252 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 274 की रकबा 0.05 है0, ख0नं0 297/469 का रकबा 0.12 है0 एवं ख0नं0 91 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिसका निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. मूर्तिबाई पत्नि रामबाबू जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	मूर्तिबाई पत्नि रामबाबू जाति मीणा सा. अटरू रहन HDFC बैंक शाखा अटरू	91 खाल की टूकडी	0.35 है0	माल-2	3.42
		कुल किता 1	0.35 है0	-	3.42

II. दीपक पुत्र रामदयाल, प्रियंका पुत्री रामदयाल, सन्तोष पत्नि स्व. रामदयाल जाति मीना सा. देह, हेमराज पुत्र चतरा जाति मीना सा. देह खातेदार रहन सी0बी0आई0 शाखा अटरू के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	दीपक पुत्र रामदयाल हिस्सा 1/6, प्रियंका पुत्री रामदयाल हिस्सा 1/6, सन्तोष पत्नि स्व. रामदयाल हिस्सा 1/6 जाति मीना सा. देह, हेमराज पुत्र चतरा जाति मीना हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार रहन सी0बी0आई0 शाखा अटरू	115 251 252 274 297/469 91	0.03 है0 0.24 है0 0.23 है0 0.05 है0 0.12 है0 0.03 है0	गै0मु0 चाह बरानी 1 बरानी 1 बरानी उत्तम माल 2 माल 2	- 1.92 1.84 0.75 1.08 -
		कुल किता 6	0.70 है0	-	5.59

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 79/2021

उनवान

1. मूर्ति बाई आयु 46 वर्ष पत्नि रामबाबू जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. दीपक आयु 25 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति मीना
2. प्रियंका आयु 22 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति मीना
3. सन्तोष बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 रामदयाल जाति मीना
4. हेमराज आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा जाति मीना निवासीगण महेशपुरा पोस्ट मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. शाखा प्रबंधक महोदय सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादिया :-विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी:-विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर प्रति0 कम 1 ता 4

विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रति0 कम 6

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 115 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 251 का रकबा 0.24 है0, ख0नं0 252 का रकबा 0.23 है0, ख0नं0 274 की रकबा 0.05 है0, ख0नं0 297/469 का रकबा 0.12 है0 एवं ख0नं0 91 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है जिसका निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

- I. मूर्तिबाई पत्नि रामबाबू जाति मीणा के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	मूर्तिबाई पत्नि रामबाबू जाति मीणा सा. अटरू रहन HDFC बैंक शाखा अटरू	91 खाल की टूकडी	0.35 है0	माल-2	3.42
		कुल किता 1	0.35 है0	-	3.42

- II. दीपक पुत्र रामदयाल, प्रियंका पुत्री रामदयाल, सन्तोष पत्नि स्व. रामदयाल जाति मीना सा. देह, हेमराज पुत्र चतरा जाति मीना सा. देह खातेदार रहन सी0बी0आई0 शाखा अटरू के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	भूमि की किस्म	लगान
1.	दीपक पुत्र रामदयाल हिस्सा 1/6,	115	0.03 है0	गै0मु0 चाह	-
	प्रियंका पुत्री रामदयाल हिस्सा	251	0.24 है0	बरानी 1	1.92
	1/6, सन्तोष पत्नि स्व. रामदयाल	252	0.23 है0	बरानी 1 बरानी	1.84
	हिस्सा 1/6 जाति मीना सा. देह,	274	0.05 है0	उत्तम	0.75
	हेमराज पुत्र चतरा जाति मीना	297/469	0.12 है0	माल 2	1.08
	हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार	91	0.03 है0	माल 2	-
	रहन सी0बी0आई0 शाखा अटरू				
		कुल कित्ता 6	0.70 है0	-	5.59

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.11.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)